नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के राजीनामा के आधार पर हुआ प्रकरणों का निपटारा

रायगढ़

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 08 मार्च 2025 को रायगढ़ जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। आयोजित उक्त नेशनल लोक अदालत के अवसर पर सर्वप्रथम जितेन्द्र कुमार जैन प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला मुख्यालय रायगढ़ के न्यायालयीन परिसर में माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष द्वीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत के आयोजन का शुभारम्भ किया।

उक्त कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सहित समस्त अपर जिला एवं स़त्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अन्य समस्त मजिस्ट्रेट, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला अधिवक्ता संघ रायगढ के अध्यक्ष लालमणी त्रिपाठी एवं अन्य अधिवक्तागण, बैंक एवं विद्युत सहित अन्य विभागों के उपस्थित अधिकारीगण तथा राजीनामा के लिए उपस्थित पक्षकारगण, न्यायालयीन कर्मचारीगण एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण, विधि महाविद्यालय के छात्र-छात्राएँ, पैरालीगल वालिंटियर्स उपस्थित रहे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन द्वारा संस्कृत के श्लोक ''नारी रत्नसमं रत्नं, न भूतो न भविष्यति''- अर्थात, स्त्री के समान कोई रत्न न भूतकाल में था, न भविष्य में होगा के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ किया

और उनके द्वारा उक्त दिवस के अनुक्रम में जिला न्यायालय की समस्त तृतीय एवं चतुर्थ महिला कर्मचारीगण, महिला अधिवक्तागण एवं महिला पैरालीगल वॉलिन्टियर्स को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायालयीन परिसर स्थित बैंक ऑफ कामर्स के संयुक्त तत्वाधान से नारी सम्मान कार्यक्रम के तहत पुष्पगुच्छ एवं स्मृतिचिन्ह भेंट कर उनके सामाजिक पारिवारिक एवं न्यायिक क्षेत्र में दी गई भागीदारी का सम्मान किया। माननीय न्यायाधीश ने समस्त जिले, प्रदेश एवं देश को उक्त दिवस की हार्दिक बधाईयां देकर कहा कि नारी ईश्वरीय शक्ति का हम पर ऐसा आर्शीवाद है जिनका प्रेम, स्नेह, मातृत्व एवं आशीष हमे अंनत काल तक प्राप्त होता रहेगा।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ जितेन्द्र कुमार जैन के मार्गदर्शन में जिले में पहली बार नेशनल लोक अदालत में विभिन्न विधि विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने नेशनल लोक अदालत में भाग लिया और उनके द्वारा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंकिता मुदलियार के निर्देशन में हेल्प डेस्क के माध्यम से राजीनामा करने हेतु आए पक्षकारों को अभूत-पूर्व सहयोग प्रदान किया गया।

नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की समस्त योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ जितेन्द्र कुमार जैन के मार्गदर्शन में जिले में पहली बार नेशनल लोक अदालत में नालसा तथा सालसा की विभिन्न योजनाओ का न्यायिक द्वार तैयार किया गया जहां पर पैरालीगल वॉलिन्टियर को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंकिता मुदलियार द्वारा नियुक्त किया गया जिनके द्वारा लोक अदालत में उपस्थित हो रहे शिक्षित वर्ग एवं ऐसे वर्ग जिन तक योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंच पाती है, उन तक योजनाओं को सरल एवं सुगम माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

वरिष्ठजनों के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण कराने हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ जितेन्द्र कुमार जैन पहुंचे विद्युत एवं बैंक इत्यादि संस्थाओं के काउण्टर के पास-छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा करूणा-वरिष्ठजनों को निशुल्क विधिक सहायता योजना का संचालन पूरे राज्य में किया जा रहा है जिसका सजीव उदाहरण जिले की न्याय पालिका के मुखिया के द्वारा दिया गया और उनके द्वारा वरिष्ठजनों के प्री-लिटिगेशन के मामलों में विभिन्न संस्थाओं के काउण्टरों में जाकर उनके प्रकरण तुरंत निराकृत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये।

आयु कभी भी पिंजरों में कैद होकर न्याय के द्वार को बन्द नहीं करती, क्योंकि न्याय की ज्योति हर पिंजरे की सलाखों को तोड़कर न्याय हर व्यक्ति तक पहुॅचा ही देती है- विदित है कि न्याय पालिका समग्र रूप से वरिष्ठजनों के मामलों में तत्परता रखते हुए निराकरण करने का प्रयास करती रही है इसी का उदाहरण आदरणीय विरेन्द्र, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की खण्डपीठ क्र0-6 द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनकी खण्डपीठ में लंबित क्लेम प्रकरण में आवेदकगण वृद्ध हैं, जिनकी क्रमशः उम्र 71 एवं 67 हैं, जो बार-बार न्यायालय की नियत पेशी तिथि में आने-जाने में असमर्थ हैं, जिनमें उभयपक्षकारों के मध्य राजीनामा का प्रयास करते हुए, प्रकरण का निराकरण किया गया। अनावेदक क्रमांक- 3 बीमा कंपनी ने 14 लाख 75 हजार रूपये अदा किये, जिसके आधार पर राजीनामा से उक्त प्रकरण को समाप्त किया गया।

न्यायाधीश प्रिया रजक खण्डपीठ क्र0-11 ने पक्षकारों से कहा कि खून के रिश्तों की मिठास कभी खत्म नहीं हो सकती, इतना सुनकर एक ही परिवार के समस्त रिश्तेदारों ने आपस में किया राजीनामा- तहसील धरमजयगढ़ की खण्डपीठ क्र-21 प्रिया रजक के न्यायालय में लम्बित दो परिवाद प्रकरणों, जिसमें उभयपक्षकार एक ही परिवार से संबंधित हैं, जिन्हें न्यायालय द्वारा लगातार समझाईश दी गई कि आपस में रिश्तेदार हैं, आपस में मिलकर रहने में ही उनकी भलाई है, जिस पर उभयपक्ष के द्वारा राजीनामा हेतु तैयार हुए और राजीनामा का आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण को आज की नेशनल लोक अदालत में रखा गया तथा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पर निराकरण पश्चात् उक्त दोनों प्रकरणों को राजीनामा के आधार पर समाप्त किया गया।

मातृछाया से वंचित पुत्री को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पुन: न्यायाधीश के प्रयासों से मिला माता का आर्शीवाद -माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जितेन्द्र कुमार जैन के समक्ष दावा प्रकरण जिसमें विवाह पश्चात पुत्री मातृत्व प्रेम की छाया से वंचित हो गई थी, उन्हें महिला दिवस के पावन अवसर पर, न्यायाधीश द्वारा प्रयास कर उन्हें एक कराकर पुत्री को मायके जाने का रास्ता प्रशस्त किया गया और इसके अतिरिक्त मृतक की पत्नी एवं संतानों को 10 लाख 50 हजार रूपये का मुआवजा भी बीमा कंपनी के माध्यम से प्रदान कराया गया। उक्त प्रकरण के निराकरण की चर्चा आज पूरे जिले में हो रही है कि कैसे अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, न्यायाधीश ने अपनों के बीच छोटी बात पर पैदा हुई कड़वाहट को अमृतरूपी धारा के रूप में प्रवाहित कर दिया।

जिला एवं तहसील न्यायालयों में विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य मामले जैसे- मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक वसूली के प्रकरण, आपराधिक मामले, विद्युत मामले, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, चेक अनादरण, सिविल मामले के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामले, जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल करते हुए, जिला मुख्यालय रायगढ़ एवं तहसील सारंगढ, घरघोडा, धरमजयगढ, खरसिया, भटगांव, बिलाईगढ के न्यायालयों में तथा श्रम न्यायालय एवं किशोर न्याय बोर्ड को मिलाकर कुल 26 खण्डपीठों का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त रायगढ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ के राजस्व न्यायालयों में भी खण्डपीठों का गठन किया गया। खण्डपीठों में लंबित प्रकरण 8665 एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरण 584399 को राजीनामा के आधार पर निराकरण हेतु लोक अदालत में रखा गया। इस प्रकार रखे गये कुल 593064 प्रकरणों में से लंबित 7599 एवं प्रीलिटिगेशन 562711 प्रकरण निराकृत हुये। इस प्रकार कुल 570310 प्रकरणों का निराकरण, जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड, उपभोक्ता फोरम रायगढ़ एवं तहसील स्थित ब्यवहार न्यायालय सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, खरसिया, बिलाईगढ़ व राजस्व न्यायालय में राजीनामा के आधार पर किया गया और उन प्रकरणो़ के अंतर्गत कुल 11 करोड़ 46 लाख 25 हजार 228 रूपये का सेटलमेंट हुआ। राजस्व न्यायालयों में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे के मामले, वारिसों के मध्य बंटवारे के मामले, कब्जे के आधार पर बंटवारा के मामले, दण्ड प्रक्रिया संहिता 145 के कार्यवाही के मामले, विक्रयपत्र/दानपत्र/वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण के मामले एवं शेष अन्य प्रकृति के कुल 555794 मामले रखे गये जिनमें से 552246 मामलों का निराकरण आज की लोक अदालत में राजस्व न्यायालयों की गठित खण्डपीठ द्वारा किया गया, जिसमें 22 लाख 96 हजार 577 रूपये का सेटलमेन्ट राशि पारित किया गया।

महत्वपूर्ण एवं खास

12 वीं बोर्ड: संस्कृत विषय की परीक्षा संपन्न

392 परीक्षार्थी में 4 अनुपस्थित रहे

रायगढ़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा-2025 कक्षा 12 वीं बोर्ड परीक्षा के तहत 8 मार्च को संस्कृत विषय की परीक्षा संपन्न हुई। जिसमें 392 परीक्षार्थी संख्या दर्ज की गई थी। जिसमें से 388 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिलाई। 4 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिले में कहीं भी नकल प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुआ।

महिला से गाली-गलौच कर दी धमकी, अपराध दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। घर घुसकर एक विवाहिता से गाली-गलौच कर मारपीट का प्रयास करने तथा जान से मारने की धमकी देने वाले रिश्तेदारों के खिलाफ पुलगांव थाना में अपराध दर्ज किया गया है। प्रार्थीया सोनम वर्मा पति विनय वर्मा निवासी पोलसायपारा दुर्ग ने शिकायत दर्ज कराया कि दिनांक 05.03.2025 को पुरूषोत्तम वर्मा, प्रतिक वर्मा, यश वर्मा द्वारा हमारे जमीन मे कौन घुसा है बोलकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर घर के बाहर ताला लगाकर एवं जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त सभी आरोपी प्रार्थीया के चाचा ससुर व देवर है। प्रार्थीया की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर प्रकरण जांच में लिया है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर न्यायाधीशों द्वारा महिला न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों का सम्मान

बालोद । आरएनएस

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के श्यामलाल नवरत्न के मार्गदर्शन एवं उपस्थिति में आज आयोजित जिला न्यायालय परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर न्यायाधीशों द्वारा जिला न्यायालय में पदस्थ महिला न्यायाधीशों, कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के स्टेट प्लॉन ऑफ एक्शन के अनुसार आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से परिवार न्यायालय बालोद के न्यायाधीश योगेश पारीक, किरण कुमार जांगड़े, प्रथम जिला न्यायाधीश बालोद, कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) पॉक्सो कोर्ट बालोद, श्वेता उपाध्याय गौर, द्वितीय जिला न्यायाधीश बालोद, संजय कुमार सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद, न्यायाधीश कु. माधुरी मरकाम, जिला अधिवक्ता संघ बालोद के अध्यक्ष अजय साहू एवं सदस्यगण, समस्त न्यायालयीन कर्मचारीगण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के कर्मचारीगण तथा समस्त पैरालिगल वालिटियर्स उपस्थित थे।

महिला सुरक्षा पर विशेष : रायगढ़ में पॉक्सो एक्ट मामलों की प्रभावी विवेचना पर कार्यशाला आयोजित

- **एसपी ने पॉक्सो एक्ट के आरोपियों को शत-प्रतिशत सजा दिलाने त्रुटिरहित विवेचना पर दिया बल**

रायगढ़

बाल संरक्षण और यौन अपराधों के मामलों में त्वरित एवं प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष रायगढ़ में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में जिला मुख्यालय के विवेचकगण तथा जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ अनुसंधान अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक पटेल ने पॉक्सो एक्ट के मामलों की विवेचना को त्रुटिरहित बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि आरोपियों को शत-प्रतिशत सजा दिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस की महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें उत्कृष्ट अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन मामलों की विवेचना में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, जिससे अपराधियों को कानूनी प्रक्रिया का लाभ न मिल सके और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले।

कार्यशाला के दौरान उप पुलिस अधीक्षक उन्नति ठाकुर, निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस और निरीक्षक मोहन भारद्वाज ने चिन्हित पॉक्सो प्रकरणों की केस स्टडी का विश्लेषण किया। इस दौरान विवेचकों द्वारा पीड़िता की उम्र के निर्धारण, साक्ष्य संकलन की त्रुटियों और अन्य तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई। पर्यवेक्षण अधिकारियों ने विवेचना संबंधी जटिलताओं को स्पष्ट करते हुए अनुसंधान की बारीकियों को साझा किया और उपस्थित विवेचकों के प्रश्नों के उत्तर दिए।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक पटेल ने उन विवेचकों को सम्मानित किया, जिन्होंने पॉक्सो एक्ट के मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में प्रभावी भूमिका निभाई। साथ ही, जिन प्रकरणों में आरोपी दोषमुक्त हुए, उन मामलों में अपील दायर करने के निर्देश दिए गए।

कार्यशाला में उप पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा, उन्नति ठाकुर, उत्तम प्रताप सिंह, साधना सिंह, सुशांतो बनर्जी सहित शहर के सभी थाना प्रभारी एवं विवेचक उपस्थित रहे।

मास्टर्स लीग : सचिन तेंदुलकर-ब्रायन को देखने क्रिकेटप्रेमी बेकरार

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए आगामी सात दिन बेहद रोमांचक होने वाले हैं। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के बचे हुए मुकाबले आज, 8 मार्च से रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के पहले चरण के मैच 22 फरवरी से शुरू हुए थे, जिनमें लीग के शुरुआती मुकाबले नवी मुंबई और वडोदरा में आयोजित किए गए। अब शेष 7 मुकाबलों की मेजबानी रायपुर करेगा। इस टूर्नामेंट में दुनिया के कई महान क्रिकेटर चौकों-छक्कों की बारिश करते नजर आएंगे, जिनमें सचिन तेंदुलकर (इंडिया मास्टर्स), ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज मास्टर्स), युवराज सिंह, कुमार संगकारा, जैक्स कैलिस, शेन वॉटसन, जोंटी रोड्स जैसे कई दिग्गज शामिल हैं। आज रायपुर में पहला मुकाबला इंडिया मास्टर्स और वेस्टइंडीज मास्टर्स के बीच खेला जाएगा, जहां क्रिकेट प्रेमियों को सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों का आमना-सामना देखने को मिलेगा। इंडिया मास्टर्स और इंग्लैंड मास्टर्स के सभी खिलाड़ी आज रायपुर पहुंच रहे हैं। टूर्नामेंट का शुरुआती 7 मुकाबले नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेले गए। 6 मैच वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले जा चुके हैं। अब आज से रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सेमीफाइनल और फाइनल सहित कुल 7 मुकाबले खेले जाएंगे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं टीम ने खाद्य प्रतिष्ठान एवं दुकानों में किया सघन जॉच

- **जांच पश्चात अवमानक पाए गए 6 संकलित नमूने**
- **एक्पायरी तिथि के पदार्थों को नियमानुसार किया गया नष्टीकरण**

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं एसडीएम घरघोड़ा के मार्गदर्शन में गत दिवस 07 मार्च को घरघोड़ा नगर स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं टीम द्वारा सघन जॉच/निरीक्षण करते हुये नमूना संकलन की कार्यवाही किया गया। इस दौरान फर्म डनसेना किराना, सुमंगल कैफे, जमुना होटल, प्रयाग किराना स्टोर, शंकर किराना स्टोर, जबीन बिरयानी, गोकुलचंद किराना, रितु किराना, संतोष किराना, रब्बानी जनरल एवं साहू किराना स्टोर का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान डनसेना किराना, सुमंगल कॉम्प्लैक्स से युनियन केसर गोल्ड आटा का नमूना जॉच हेतु लिया गया तथा उक्त फर्म से प्राप्त 05 नग एक्पायरी तिथि के गुग्ली बिस्कुट पाया गया। फर्म प्रयाग किराना से बालाजी नमकीन, लेस, टेस्टी नट्स, 7 स्टार मटर, बेसन में एक्सपायरी तिथि पाया गया। फर्म शंकर किराना स्टोर से सर्वेश्वरी मसाला, अचार एक्सपायरी तिथि पाया गया। फर्म साहू किराना से पतंजली दलिया 05 नग एक्सपायरी तिथि पाया गया। समस्त एक्पायरी तिथि के पदार्थो को नियमानुसार नष्टीकरण की कार्यवाही करते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

त्यौहारी सीजन को दृष्टिगत रखते हुए 08 मार्च को रायगढ़ शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों/ठेले गुमटियों से जॉच/विश्लेषण हेतु नमूने संकलित कर चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से त्वरित जॉच की कार्यवाही किया गया। उक्त कार्यवाही 08 फर्म-कबीर चौक स्थित साईं समोसा, मीनू समोसा, गर्ग किराना, बबलू नास्ता, बोईर दादर रोड स्थित अन्ना फास्ट फूड, लक्ष्मण नमकीन शहीद चौक स्थित हरियाणा जलेबी एवं गुप्ता होटल से कुल 43 विभिन्न प्रकार के नमूनें जैसे-समोसा, बडा, कचौडी, कटलेट, चटनी, साबूत दाल, मैदा, शक्कर, आईसक्रीम, जलेबी, चाशनी आदि खाद्य पदार्थो को जॉच/विश्लेषण हेतु लिया गया। जिसमें कुल 37 नमूने मानक पाये गये तथा 06 नमूने अवमानक पाये गये। अवमानक नमूने फर्म मीनू समोसा से बड़ा एवं चना चटनी, गर्ग किराना से मैदा और उड़द दाल, बबलू समोसा से मीठी चटनी और मिर्च चटनी अवमानक प्राप्त होने पर संबंधित फर्म/प्रतिष्ठान को नोटिस जारी कर अवमानक खाद्य सामग्री को नष्ट करवाया गया। इसके अतिरिक्त फर्म अन्ना फास्टफूड में कोल्ड्रींक स्प्राईट 15 नग, फैंटा 10 नग, कोका कोला 12 नग एक्सपायरी पाया गया, जिसे तत्काल नष्ट कराया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा त्योहारी पर्व को दृष्टिगत रखते हुये लगातार सघन जॉच/ निरीक्षण की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। उक्त कार्यवाही अंकित गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी शाश्वत तिवारी, नमूना सहायक एवं टीम द्वारा किया गया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU